भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1190
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

वन्यजीवों में एच 5एन 1 एवियन इन्फ्लुएंजा

1190. सुश्री सयानी घोषः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नागपुर बचाव केंद्र में वन्यजीवों में एच5एन1 एवियन इन्फलूएंजा का पता चलने के पश्चात् प्राणी-उद्यान में बंद वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी और प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या देश के अन्य वन्यजीव अभयारण्यों, बचाव केंद्रों या प्राणी-उद्यानों में एवियन फ्लू के कोई मामले आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्राणी-उद्यानों और वन्यजीव केंद्रों को एवियन फ्लू का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन या दल आवंटित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी चिड़ियाघरों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रवेश को रोकने के लिए उनकी तैयारियों के संबंध में परिपत्र जारी किया है और चिड़ियाघरों को "एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण" पर राष्ट्रीय कार्य योजना का अनुपालन करने की सलाह दी है।
2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों को वन्यजीव प्रबंधन, रोग नियंत्रण और निदान पर तकनीकी सलाह के लिए वन्यजीव केंद्र, आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली से परामर्श करने की सलाह दी।
3. पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार ने दिनांक 3.1.2025 को राज्य को एक सलाह जारी की है जिसमें किसी भी नैदानिक लक्षण दिखाने वाले पशुओं को अलग करने, चिड़ियाघर के कर्मचारियों के अलगाव और आवाजाही को प्रतिबंधित करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग सहित जनता के लिए प्रतिष्ठान को बंद करने, पशु हैंडलरों के अलगाव करने, जैव सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।
4. राज्य सरकार से चिड़ियाघर में मौजूद बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली पशुओं और पक्षियों की निगरानी करने और असामान्य मृत्यु की सूचना देने का अनुरोध किया गया है।
5. राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह एवियन इन्फ्लूएंजा 2021 के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए डीएएचडी राष्ट्रीय कार्य योजना, विशेष रूप से अध्याय 6 का पालन करे, जिसमें चिड़ियाघरों में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप से निपटने के लिए कार्य बिंदु दिए गए हैं।

6. एनसीडीसी, आईसीएमआर, वन्यजीव और डीएएचडी के सदस्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (एनजेओआरटी) को भी जांच करने और भविष्य की तैयारियों के लिए सुझाव देने हेतु तैनात किया गया था।
7. पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 7 जनवरी 2025 को पशुपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीव प्रभाग-एमओईएफसीसी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर और आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल के अधिकारियों जैसे सभी हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की और सभी हितधारकों को वन हेल्थ अप्रोच का पालन करते हुए निकट सहयोग से काम करने की सलाह दी।
8. आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल और डब्ल्यूआरडीडीएल पुणे की एक अलग टीम ने भी बचाव केंद्र और चंद्रपुर वन क्षेत्र में और उसके आसपास महामारी संबंधी जांच की।
9. गोरेवाड़ा चिड़ियाघर के बचाव केंद्र में रखे गए जंगली पशुओं के 68 नमूनों की जांच की गई और दिनांक 10 जनवरी 2025 को आईसीएआर- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल द्वारा उनका नमूने नकारात्मक पाए गए।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के प्रबंधन को एवियन इन्फ्लूएंजा का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के लिए "एवियन इन्फ्लूएंजा का निवारण, नियंत्रण और रोकथाम" संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना और चिड़ियाघरों के लिए विशिष्ट इसके परिशिष्ट के अनुसार आवश्यक संसाधन या टीम आवंटित करने की सलाह दी गई थी।

****